

न्यायालय उप जिला कलेक्टर वॉली जिला सवाई माधोपुर

3

ठासीन अधिकारी श्री वद्रीनारायण मीना आर.ए.एस

10 प्रार्थना पत्र संख्या - 6/2020

वकरण पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी गूगडोद तहसील वॉली जिला सवाई माधोपुर

.....प्रार्थीगण

वनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वॉली जिला सवाई माधोपुर
2. सुरज्ञान पुत्र कल्याण
3. भरतलाल पुत्र कल्याण

.....अप्रार्थी

पस्थित :- श्री राजमल जैन एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित

धारा 111 भू. राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक...../2...3.22

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का दायर किया है कि ग्रम गूगडोद पटवार हल्का बपूई तहसील वॉली में अंकित खाता सं० 64 में अंकित खसरा नम्बर 116 रकबा 0.3800 है०, भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 2 व 3 की व जगदीश की खातेदारी भूमि । जगदीश लाऔलाद फोट हो गया है। जिसके वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 व 3 ही वारिस एवं उत्तराधिकारी है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के आस पास अन्य कई लोगों की खातेदारी भूमि स्थित है। जो आये दिन उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमदा रहते है तथा सीमाबंदी करने में व्यवधान पैदा करते है। इस कारण काश्त करने में परेशानी पैदा होती है। अतः उक्त आराजीयात सीमाज्ञान कर अत्थरगढी करवाने की कृपा करें।



उप जिला कलेक्टर
वॉली जिला सवाई माधोपुर


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल मस्थित नहीं। इस कारण दिनांक 04.02.2022 एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक जमाबंदी 2071-74 का खाता सं० 64 में अंकित खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.3800 है०, वाके ग्राम गुगडोद है जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। अभी इनका विधिवत कासमा नहीं हुआ है।


अतः हमारे विनम्र अभिमत में उक्त आराजीयात मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के संयुक्त खातेदारी की है। तथा प्रार्थी को यह हक हासिल है कि अपनी सहखातेदारी की सम्पूर्ण आराजीयात का सीमांकन कर पत्थरगढी करवावें।


परिणामत इस प्रक्रम में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी सं० 1 हसीलदार बौली को को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 2 व 3 की उपस्थिति में आराजीयात खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.3800 है० वाके ग्राम गुगडोद का अडोस-पडोस के क्षेत्रों में फसल सरसब्ज न होने पर अर्थात् पडोस से खेत खाली होने पर नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगढी करावें। पत्थरगढी का व्यय प्रार्थी स्वयं वहन करेगा। पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।




(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौली बौली सं.मा. मधोपुर

आदेश आज दिनांक 19.3.22 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया


तालुका विधिक सेवा समिति
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक रजिस्ट्रार
बौली जिला सवाई मधोपुर (राज.)


उप जिला कलेक्टर
बौली बौली सं.मा. मधोपुर